

FORM NO. 111

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) आसीन्द , जिला भीलवाडा

कमला ---- बनाम.....लादू

किस्म मुकदमा----151,152 सी.पी.सी.

प्र.सं. 179/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.05.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151,152 सी.पी.सी. के प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRA प्रकरण संख्या 101/2019 में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2021 में कृषि भूमि राजस्व ग्राम आसीन्द में स्थित है जबकि आदेश में उक्त भूमि को लिपिकिय भूल से ग्राम आसीन्द के बजाय ग्राम आमेसर में अंकित कर दिया गया है जिस कारण से आदेश की पालना नहीं की जा सक रही है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि निर्णित प्रकरण संख्या 101/2019 में मौजा ग्राम आमेसर के बजाय मौजा ग्राम आसीन्द तथा भू.अ.निरीक्षक आमेसर के बजाय भू.अ.निरीक्षक आसीन्द अंकित कराने का आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया निर्णित पत्रावली प्रकरण संख्या 101/2019 को तलब की जाकर अवलोकन / अध्ययन किया। निर्णित पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट हुआ कि प्रकरण संख्या 101/2019 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व ग्राम आसीन्द में स्थित है किन्तु प्रकरण संख्या 101/2019 में पारित निर्णय में लिपिकीय भूल से राजस्व ग्राम आसीन्द के बजाय राजस्व ग्राम आमेसर अंकित हो गया है जिसे सुधारा जाना न्यायचित है।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151,152 सी.पी.सी.स्वीकार किया जाकर निर्णित पत्रावली प्रकरण संख्या 101/2019 में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2021 में लिपिकीय त्रुटि को सुधार कर कृषि भूमि राजस्व ग्राम आसीन्द से सम्बन्धित होने से उक्त आदेश में जहां जहां राजस्व ग्राम आमेसर भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र आमेसर का अंकन किया हुआ है वहां वहां राजस्व ग्राम आसीन्द भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र आसीन्द का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली मूल पत्रावली के साथ नत्थी की जावें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।</p>	

सहायक कलक्टर (S.D.O.)

आसीन्द जिला भीलवाडा